राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(1)नविवि/विविध/2021लूज़ जयपुर, दिनांकः– 09 JUN 2022

सचिव,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाड़ा/भरतपुर
बाड़मेर/कोटा/जैसलमेर/श्रीगंगानगर/
उदयपुर/सीकर/सवाईमाधोपुर/पाली/चित्तौड़गढ़।

विषयः– मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अन्तर्गत गृह स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में।

प्रसंगः– शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अशा. टीप संख्या प.13( )सा.सू/वृ0क0/सान्याअवि/2022/30409 दिनांकः 19.05.2022 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांकः 20.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अशा. टीप संख्या प.13( )सा.सू/वृ0क0/सान्याअवि/2022/30409 दिनांक 19.05.2022 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांकः 20.05.2022 द्वारा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अन्तर्गत गृह स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है किः–

भू–आवंटन नीति–2015 के अनुसार प्राधिकरण/न्यास/मण्डल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि प्राधिकरण/न्यास/मण्डल स्तर पर ही आवंटित करें। यदि पूर्व में इस संबंध में भूमि आवंटन किया जा चुका है तो आदेश अविलम्ब राज्य सरकार को भिजवाने का श्रम करावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
9/6/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपीः– वरिष्ठ उप शासन सचिव, को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजगढ़ल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

यू. ओ. नोट

विषय : मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अन्तर्गत गृह स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर, भरतपुर संभाग में दो–दो, शेष संभागों पर तीन–तीन तथा शेष 26 जिलों के लिए एक–एक मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत प्रत्येक में 75–75 क्षमता के कुल 45 गृहों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

उक्त कम में विभाग के पत्र कमांक 371 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा संलग्न सूची अनुसार 75 क्षमता के एक आवासी गृह निर्माण हेतु न्यूनतम जमीन 3000 वर्ग मीटर (लगभग 1 बीघा) भूमि आवंटित करने हेतु लिखा गया है।

भूमि आवंटन नीति–2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संलग्न सूची जिलों के लिए निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र भरकर उक्तानुसार भूमि आवंटित करने का श्रम करावें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह" का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.समित शर्मा)
शासन सचिव

यू.ओ. नोट क्रमांक : 13( )सा.सु./वृ0क0/सान्याअवि/2022/30409
जयपुर, दिनांक : 19.05.2022

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना हेतु भूमि आवंटन हेतु जिलों की सूची

क.स.	नाम जिला	एक गृह स्थापित हेतु न्यूनतम आवंटित की जाने वाली भूमि	संभाग/जिला मुख्यालय पर स्थापित किये जाने वाले गृह की संख्या
1.	जोधुपर	एक गृह हेतु न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 1 बीघा)	03
2.	उदयपुर		03
3.	बीकानेर		03
4.	अजमेर		03
5.	कोटा		03
6.	जयपुर		02
7.	भरतपुर		02
8.	अलवर		01
9.	बाड़मेर		01
10.	भीलवाड़ा		01
11.	चित्तौड़गढ़		01
12.	जैसलमेर		01
13.	पाली		01
14.	सीकर		01
15	श्रीगंगानगर		01
16	सवाईमाधोपुर		01

Scanned by CamScanner

बजट घोषणा वर्ष 2022–23 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना

मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह (45)

भरतपुर समाग मुख्यालय (2)

1. कामकाजी महिला गृह
2. एच.आई.वी. पीडित, वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह

जयपुर समाग मुख्यालय (2)

1. कामकाजी महिला गृह
2. वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह

बीकानेर समाग मुख्यालय (3)

1. वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह
2. कामकाजी महिला गृह
3. कैंसर पीडित, वृद्ध, बेघर व निराश्रित गृह

अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर समाग मुख्यालय (4X3=12)

1. वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह
2. वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह
3. कामकाजी महिला गृह

शेष 26 जिले

1. वृद्ध, बेघर एवं निराश्रित गृह

Scanned by CamScanner

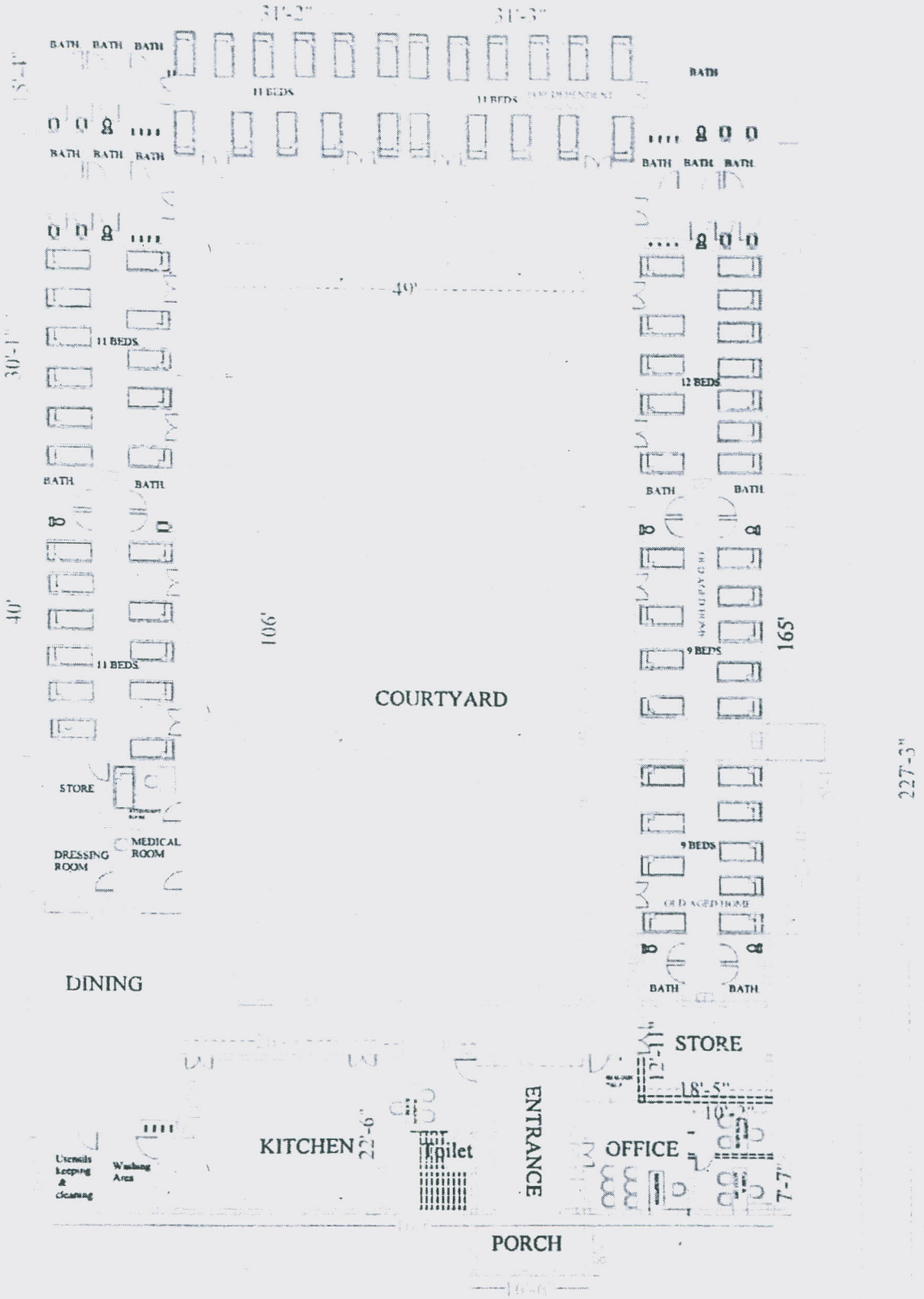

TOTAL AREA- 28179 SQFT/2618 SQM
TOTAL CONST. AREA- 11446 SQFT/1063 SQM

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 03 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 13.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	वी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 03 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तें की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तें की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
वी पी चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 03 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 03 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.च देल, उपनिदे ाक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्याल स
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 03 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
नाम व पद
बी.पी. चन्देल
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 02 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 02 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
नाम व पदनाम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पदनाम
उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पदनाम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बावत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बावत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पदनाम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

प्रपत्र–रा

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बावत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बावत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बावत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना !
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9926309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
नामपदनिर्देशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तें की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तें की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी.पी. चन्देल
नाम व पद
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
नाम बी.पी.चन्देल
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बावत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बावत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बावत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022

स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
बी पी चन्देल
नाम व पद उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग जयपुर

प्रपत्र–स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	विभाग/संगठन का नाम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर
2.	प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	बी.पी.चन्देल, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास
3.	डाक पता, टेलीफोन न. मोबाईल न. व मेल आई.डी.	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर मो0 9928309095 मेल आई.डी. raj.sje@rajasthan.gov.in
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत 01 "मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रति गृह न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3000 वर्ग मीटर (लगभग 01 बीघा)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान,अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 में राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'अपना घर' संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
8.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 1.प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 60 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है।
	2.चाही गयी भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms)	राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाना ।
	3.वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण	बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं की जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्त्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्ते की पूर्णतः पालना करेगा। शर्ते की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 19.5.2022
स्थान .....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
नाम व पद बी.पी. चन्देल
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, जयपुर